यालय A cm Ist JPR

ख्या दावा 39/2022

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
7/10/24	पत्रावली पेश हुयी। वादी की ओर से अधिवक्ता श्री गोपाल शर्मा हाजिर। प्रतिवादी संख्या 2, 3, 5, 7 लगा० 12, 14. 16 लगा० 19 के बावजूद सम्यक तामील उपस्थित नहीं होने पर इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही पूर्व में अमल में लायी जा चुकी है। प्रतिवादी संख्या 1, 4, 6, 13, 15 द्वारा सम्यक अवसर के बाद भी जबाव प्रस्तुत नहीं करने पर पूर्व में जबाव बंद किया जा चुका है। पत्रावली वास्ते तनकीयात नियत है। वादी ने जो वाद-पत्र प्रस्तुत किया है, उसमें किसी भी प्रतिवादी द्वारा	

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

फर्द अहकाम

२१५५७ बनाम कवि्स

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम

केस संख्या GUR 39/2022

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष
	07/10/24	काउन्टर अथवा प्रतिवाद पेश नहीं किया गया है। इसलिए प्रतिवाद के अभिकथन के अभाव में, विवाधक नहीं होने से आदेश-15, सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 के तहत वाद-पत्र का अवलोकन किया गया। वाद-पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात के गहनतापूर्वक अवलोकन से हम पाते हैं कि वादीगण, दावा-दायरी के दिन, सहखातेदार/खातेदार के रूप में दर्ज रिकॉर्ड नहीं है। वादी ने वाद के चरण संख्या-(2) में उल्लेखित किया है कि विवादग्रस्त	

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
7/10/24	कृषि भूमि की खातेदारी वर्तमान में उनके पूर्वज / पिताजी के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। इसलिए वाद-पत्र से ही स्पष्ट है कि वादीगण सह काश्तकार नहीं है। चूँकि वादी ने यह वाद बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा पेश किया है। धारा -53, अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत एक खातेदार / सहखातेदार के द्वारा ही जोत के विभाजन के लिए दावा प्रस्तुत किया जा सकता है। वादी ने स्वयं यह कथन किया है कि उक्त विवादग्रस्त कृषि भूमि की खातेदारी वर्तमान में	

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

फर्द अहकाम

दावेदार बनाम सरकार

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर नयपुर शहर प्रथम

केस संख्या CIVIL 39/2022

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	07/10/24	उनके पूर्वजों के नाम अंकित है, विरासत का नामान्तकरण अभी वादीगण के नाम से नहीं खुला है। इस प्रकार वादीगण जब तक खातेदार/सहखातेदार अधिकारों को घोषित ना करवा लें अथवा जब तक राजस्व रिकॉर्ड में उनका नाम अंकित नहीं हो, तब तक धारा-53, राज० काश्तकारी अधिनियम के तहत विभाजन का दावा प्रस्तुत करने का वाद-करण उत्पन्न नहीं हो सकता है। अतः इसी स्तर पर न्यायालय अपनी अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एवं धारा-53 राज० काश्तकारी

सहायक कलक्टर
नयपुर शहर प्रथम

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर प्रथम

कडमल बनाम कजोड़

मुकदमा संख्या /वर्ष : दावा 39/2022 /20

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
		के तहत पोषणीय नहीं होने के कारण वादी का वाद-पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 7/10/24 को सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature] सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम	